

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठारीन अधिकारी - डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 16/2025
जीसीएमएस नं. : 2025/17

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,
जिला रसद कार्यालय, बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम

श्री मुकेश कुमार मीणा पिता देवीलाल मीणा, प्रोपराईटर
मुकेश टी स्टॉल, लियो सर्कल, बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपस्थित

-विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :- 19-02-2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 07.10.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत दिनांक 03.01.2025 को लियो सर्कल के पास, बांसवाड़ा स्थित मुकेश टी स्टॉल की जांच उसके प्रोपराईटर श्री मुकेश कुमार मीणा की उपस्थिति में श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेण्डर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	502837 E	18.600	15.600	3.000

श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण)


जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सागर गैस सर्विस, बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रामलाल कटारा/ प्रभुलाल कटारा को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 19.02.2025 को अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जांच के दौरान जो 1 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है वह मेरे स्वयं के घरेलु उपयोग हेतु था, जो रिफिलिंग कराने के लिये मेरी दुकान पर काम कर रहे कर्मचारी ने दुकान में रख दिया था, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डर का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। मेरे द्वारा कोई व्यवसाय या कारोबार नहीं किया जाता है न ही अवैध भण्डारण किया है। जब्तशुदा 1 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहस के दौरान अप्रार्थी द्वारा जवाब में उल्लेखित बिन्दुओं को दौहराया।

विभागीय प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 03.01.2025 को लियो सर्कल के पास, बांसवाडा स्थित मुकेश टी स्टॉल की जांच उसके प्रोपराईटर श्री मुकेश कुमार मीणा की उपस्थिति में श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सागर गैस सर्विस, बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रामलाल कटारा/ प्रभुलाल कटारा को सुपुर्दगी में दिया गया।


जिन्ना कलक्टर
बांसवाडा (राज.)




प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भण्डारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 19-02-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(ज. इंद्रजीत यादव)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रमाणित है।
दिनांक 19/02/2025 स्वीकार
घरेलु गैस के सिलेण्डर
पर निस्तारण कार्य
करना।

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)